भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6139

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया पर गलत सूचना

6139. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीपफेक, मैनिपुलेटेड वीडियो और अन्य विभिन्न प्रकार की गलत जानकारी के पचास से अधिक मामलों की पहचान की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इनमें से अनेक को पड़ोसी देश द्वारा पोस्ट किया गया था; और

(घ) अन्य देशों द्वारा गलत जानकारी का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। एफसीयू केंद्रीय सरकार से संबंधित फर्जी खबरों तथा भ्रामक सूचनाओं की पहचान करती है। अधिकृत स्रोतों से समाचार की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सही जानकारी प्रकाशित करती है। इसके अतिरिक्त, यह नागरिकों को संदिग्ध सामग्री को सत्यापन हेतु रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे भ्रामक सूचना के विरुद्ध जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके।

एफसीयू ने भारत सरकार से संबंधित विभिन्न फर्जी दावों की पहचान की है, जिनमें डीपफेक, एआई-जनित तथा भ्रामक वीडियो, अधिसूचनाएँ, पत्र और वेबसाइट्स शामिल हैं। अब तक कुल

2913 फैक्ट-चेक प्रकाशित किए गए हैं। सभी फैक्ट-चेक पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध हैं जिनमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सऐप चैनल शामिल हैं।

ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने ऑनलाइन प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं और शत्रुतापूर्ण नैरेटिव की सक्रिय रूप से पहचान की। इसने फर्जी दावों की तथ्य-जांच करने, प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने तथा सटीक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, जिससे भ्रामक और भारत-विरोधी नैरेटिव के प्रसार को रोकने में सहायता मिली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पर ऐसे 1,400 से अधिक यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए।

डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक सामग्री के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) आचार संहिता के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान करते हैं।
